कालू राम वगैरह बनाम बालुदेवी वगैरह
मुकदमा नम्बर 037/2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां (डीडवाना–कुचामन)

पीठासीन अधिकारी : श्री विश्वामित्र मीना आर.ए.एस.

प्रार्थीगण :–

1. कालू राम पुत्र जीवा राम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी आबास तहसील नावां।
2. केसरदेवी पत्नी मोहन लाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी आबास तहसील नावां।
3. हनुमान पुत्र मोहन लाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी आबास तहसील नावां।
4. नानुराम पुत्र मोहन लाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी आबास तहसील नावां।
5. छोटुराम कुमावत पुत्र मोहन लाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी आबास तहसील नावां।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. बालुदेवी पुत्री मोहन लाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी आबास तहसील नावां।
2. छोटीदेवी पुत्री मोहन लाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी आबास तहसील नावां।
3. तुलसी पुत्री मोहन लाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी आबास तहसील नावां।
4. शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा नावां तहसील नावां।
5. राजस्थान सरकारी जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) नावां।

प्रार्थना पत्र बाबत :– शुद्धिकरण करने
अन्तर्गत धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट 1956

उपस्थित :– श्री आनन्दीलाल कुमावत अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री धर्मेन्द्र सिंह अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ता 3

मुकदमा नम्बर :– 037/2023 निर्णय दिनांक :– 11.01.2024

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्व ग्राम आबास पटवार हल्का भगवानपुरा तहसील नावां जिला नागौर की सरहद में कृषि आराजी भूमि खसरा नम्बर 414 रकबा 0.0500 हैक्टर, खसरा नम्बर 415 रकबा 0.0200 हैक्टर, खसरा नम्बर 416 रकबा 0.9000 हैक्टर, खसरा नम्बर 417 रकबा 1.5800 हैक्टर कुल रकबा 2.5500 हैक्टर भूमि में 1/2 हिस्सा प्रार्थी संख्या 1 की व 1/2 हिस्सा प्रार्थीगण संख्या 2 ता 5 व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के पिता/पति स्व० मोहन लाल की खातेदारी में दर्ज चली आ रही है, जिसमें प्रार्थी संख्या 1 का नाम गलती से कालूराम पुत्र गंगाराम दर्ज हो गया है, जबकि प्रार्थी संख्या 1 का वास्तविक एवं सही नाम कालू राम पुत्र जीवा राम है तथा प्रार्थीगण संख्या 2 ता 5 व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के पिता/पति स्व० मोहन लाल का नाम गलती से मोहनराम पुत्र गंगाराम दर्ज हो गया है, जबकि वास्तविक एवं सही नाम मोहन लाल पुत्र जीवा राम है। प्रार्थीगण संख्या 2 ता 5 व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के पिता/पति स्व० मोहन लाल पुत्र जीवा राम की मृत्यु दिनांक–31/03/2022 को हो चुकी है, जिनके नाम उपरोक्त खसरान में 1/2 वें हिस्से की खातेदारी दर्ज है, प्रार्थीगण संख्या 2 ता 5 व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 अपने पिता/पति के नाम खातेदारी भूमि का नामान्तरकरण करवाने हेतु हल्का पटवारी कहा तो

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.04 17:47:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना–कुचामन)

हल्का पटवारी ने नामांतकरण करने से मना कर दिया। अन्य दस्तावेज सरकारी रिकार्ड में उसमें भी राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डायरी, पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड में प्रार्थी संख्या 1 का नाम कालू राम पुत्र जीवा राम ही है व प्रार्थीगण संख्या 2 ता 5 व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के पिता/पति का नाम मोहन लाल पुत्र जीवा राम ही है। प्रार्थी संख्या 1 का नाम कालू राम पुत्र जीवा राम तथा प्रार्थीगण संख्या 2 ता 5 व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के पिता/पति का नाम मोहन लाल पुत्र जीवा राम वास्तविक एवं सही नाम है, खसरा नम्बर 414, 415, 416, 417 ग्राम आबास की भूमि में प्रार्थी संख्या 1 का नाम कालूराम पुत्र गंगाराम तथा प्रार्थीगण संख्या 2 ता 5 व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के पिता/पति का नाम मोहनराम पुत्र गंगाराम गलती से दर्ज हो गया है, जो सद्भावी लिपीकिय गलती है, जिसको दुरूस्त किया जाना प्रार्थीगण के हितों के लिए आवश्यक है। राजस्व ग्राम आबास पटवार हल्का भगवानपुरा तहसील नावां जिला नागौर की सरहद में कृषि आराजी भूमि खसरा नम्बर 414 रकबा 0.0500 हैक्टर, खसरा नम्बर 415 रकबा 0. 0200 हैक्टर, खसरा नम्बर 416 रकबा 0.9000 हैक्टर, खसरा नम्बर 417 रकबा 1.5800 हैक्टर कुल रकबा 2.5500 हैक्टर भूमि में प्रार्थी संख्या 1 का नाम कालूराम पुत्र गंगाराम के स्थान पर कालू राम पुत्र जीवा राम व प्रार्थीगण संख्या 2 ता 5 व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के पिता/पति का नाम मोहनराम पुत्र गंगाराम के स्थान पर मोहन लाल पुत्र जीवा राम कर शुद्धीकरण करने का निवेदन किया।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 4 का जरिये पंजीकृत डाक नोटिस भिजवाने जाने के बावजूद भी अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र सिंह ने इकबाली जवाब पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम आबास के खसरा नम्बर 414, 415, 416, 417 कुल रकबा 2.5500 हैक्टर में प्रार्थी संख्या 1 का नाम कालूराम पुत्र गंगाराम के स्थान पर कालू राम पुत्र जीवा राम व प्रार्थीगण 2 ता 5 व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के पिता/पति का नाम मोहनराम पुत्र गंगाराम के स्थान पर मोहन लाल पुत्र जीवा राम किया जाता है तो हमें किसी प्रकार का उज्र ऐतराज या आपत्ति नहीं है, बल्कि इसमें हमारी पूर्ण सहमति है। तहसीलदार नावां से रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार नावां ने रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि ग्राम आबास के खसरा नम्बर 414, 415, 416, 417 कुल रकबा 2.5500 हैक्टर भूमि में जांच पटवारी हल्का से करवाई गई पटवारी हल्का की रिपोर्ट में बताया कि प्रार्थी कालुराम व स्वर्गीय मोहनराम के पिता को दो नामों गंगाराम व जीवाराम के नाम से जाना जाता था एवं दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है एवं कालुराम पुत्र गंगाराम व स्वर्गीय मोहनराम पुत्र गंगाराम जाति कुमावत के नाम से अन्य कोई व्यक्ति नहीं बताया है। अतः रिपोर्ट पटवारी अनुसार प्रार्थी का नाम कालूराम पुत्र गंगाराम के स्थान पर कालूराम पुत्र जीवाराम व अप्रार्थीगण केसरदेवी, हनुमान, नानूराम, छोटूराम के पिता/पति मोहनलाल पुत्र गंगाराम के स्थान पर मोहनलाल पुत्र जीवाराम शुद्ध किया जाना उचित है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में आधार कार्ड , पहचान पत्र, राशन कार्ड व मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रतियां पेश की।

उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.04 17:47:26 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त विवेचानुसार प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र में राजस्व ग्राम आबास पटवार हल्का भगवानपुरा तहसील नावां जिला नागौर की सरहद में कृषि आराजी भूमि खसरा नम्बर 414 रकबा 0.0500 हैक्टर, खसरा नम्बर 415 रकबा 0.0200 हैक्टर, खसरा नम्बर 416 रकबा 0.9000 हैक्टर,

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

खसरा नम्बर 417 रकबा 1.5800 हैक्टर कुल रकबा 2.5500 हैक्टर भूमि में प्रार्थी संख्या 1 का नाम कालूराम पुत्र गंगाराम के स्थान पर कालू राम पुत्र जीवा राम व प्रार्थीगण संख्या 2 ता 5 व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के पिता/पति का नाम मोहनराम पुत्र गंगाराम के स्थान पर मोहन लाल पुत्र जीवा राम करवाना चाहते है तथा अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 ने इकबाली जवाब पेश कर सहमति दी है तथा तहसीलदार नावां की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि में प्रार्थी संख्या 1 का नाम कालूराम पुत्र गंगाराम के स्थान पर कालू राम पुत्र जीवा राम व प्रार्थीगण संख्या 2 ता 5 व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के पिता/पति का नाम मोहनराम पुत्र गंगाराम के स्थान पर मोहन लाल पुत्र जीवा राम किया जाना उचित प्रतीत बताया है। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं अप्रार्थीगण के इकबाली जवाब तथा तहसीलदार नावां की रिपोर्ट के अनुसार उपरोक्त वर्णित भूमि में प्रार्थी संख्या 1 का नाम कालूराम पुत्र गंगाराम के स्थान पर कालू राम पुत्र जीवा राम व प्रार्थीगण संख्या 2 ता 5 व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के पिता/पति का नाम मोहनराम पुत्र गंगाराम के स्थान पर मोहन लाल पुत्र जीवा राम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम आबास पटवार हल्का भगवानपुरा तहसील नावां जिला नागौर की सरहद में कृषि आराजी भूमि खसरा नम्बर 414 रकबा 0.0500 हैक्टर, खसरा नम्बर 415 रकबा 0.0200 हैक्टर, खसरा नम्बर 416 रकबा 0.9000 हैक्टर, खसरा नम्बर 417 रकबा 1.5800 हैक्टर कुल रकबा 2.5500 हैक्टर भूमि में प्रार्थी संख्या 1 का नाम कालूराम पुत्र गंगाराम के स्थान पर कालू राम पुत्र जीवा राम एवं प्रार्थीगण संख्या 2 ता 5 व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के पिता/पति का नाम मोहनराम पुत्र गंगाराम के स्थान पर मोहन लाल पुत्र जीवा राम दुरूस्त किया जाता है। तद्नुसार तहसीलदार नावां को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार नावां को तहरीर जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.01.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्वामित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
नावां (डीडवाना–कुचामन)
उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.04 17:47:26 IST
Reason: SelfAttested